रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 10—मार्च 16, 2007 (फाल्गुन 19, 1928)

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 10—MARCH 16, 2007 (PHALGUNA 19, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	489
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	195
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	3
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	415
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	551
भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टें और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	163
भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	3445
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	187
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	489
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	195
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	415
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	551
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	163
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3445
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	187
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक फरवरी 2007

(आयकर विभाग)

सं. 3/2007 (फा. सं. ए-11013/4/2005-प्रशा.-VII)--दिनांक 30 मई, 2005 की अधिसूचना सं. 1/2005 और दिनांक 21 जून, 2005 की अधिसूचना सं. 2/2005 में आंशिक संशोधन करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि आयकर निदेशालय (विधिक एवं अनुसंधान) को तत्काल प्रभाव से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के संबद्ध कार्यालय के रूप में घोषित किया जाता है।

एस. सी. सरकार
उप-सचिव

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 1 फरवरी 2007

संकल्प

सं. के-12012/5/16/2006/6104-पी एण्ड आर--अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का पुनर्गठन, दिनांक 8 सितम्बर, 2006 के समसंख्यक संकल्प के तहत 2 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। भारत सरकार ने निम्नलिखित अभ्यर्थियों को नये गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में शामिल करने का निर्णय लिया है जबकि 8 सितम्बर 2006, 23 अक्तूबर 2006, 22 नवम्बर 2006, 27 नवम्बर 2006, 5 दिसम्बर 2006, 12 दिसम्बर 2006, 21 दिसम्बर 2006 एवं 22 दिसम्बर 2006 और 5 तथा 10 जनवरी 2007 के संकल्प के तहत गठित मौजूदा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य यथावत बने रहेंगे :--

1. श्री शंकर वी. जैन
   रॉकस्प्रिंग, बी-601
   ऑफ न्यू लिंक रोड,
   दहिसर (पश्चिम), मुम्बई-400068
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह
   एस-20/51 बी-2, कैन्ट मॉल रोड,
   बुद्ध बिहार कॉलोनी
   वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
3. श्री राजेश गुप्ता,
   1, बापूधाम मार्किट,
   चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

पुनर्गठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य सचिव सहित 24 सरकारी सदस्यों तथा 36 गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल करते हुए बोर्ड की वर्तमान संख्या 61 सदस्य हो जाएगी।

तथापि, दिनांक 8 सितम्बर, 2006 के संकल्प में दर्ज अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें वही रहेंगी तथा उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डॉ. संदीप श्रीवास्तव
अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 20 फरवरी 2007

सं. एफ-9-14/2006-यू-3(ए)--जबकि "रामाकृष्णा मिशन विवेकानन्द एजुकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट" बेलुर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल (जिसे अब रामाकृष्णा मिशन विवेकानन्द विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है) जिसमें 'इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स सेन्टर फार द डिसेबल्ड' कोयम्बटूर भी शामिल है, को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत नई श्रेणी के अधीन इस मंत्रालय की दिनांक 5 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या एफ. 9-54/2004-यू.3 के द्वारा 'सम विश्वविद्यालय' घोषित किया गया था।

और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सम विश्वविद्यालय संस्थान के अधिकार क्षेत्र में तीन परिसर बाह्य केन्द्रों को शामिल करने के लिए उपर्युक्त सम विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर इस प्रयोजनार्थ गठित एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से विचार किया है।

और जबकि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट एवं सिफारिशों के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्र सरकार से इन परिसर बाह्य केन्द्रों को सम विश्वविद्यालय संस्थान के अधिकार क्षेत्र में लाने की सिफारिश की है।

अतः केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परामर्श पर एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि वह निम्नलिखित परिसर बाह्य केन्द्रों को "रामाकृष्णा मिशन विवेकानन्द शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थान" (लिसे अब रामाकृष्णा मिशन विवेकानन्द विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है), उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ इसकी संघटक इकाइयों के रूप में संचालित

तथा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से शामिल करती है :--

(i) रामाकृष्णा मिशन लोक शिक्षा परिषद, नरेन्द्रपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल--"समेकित ग्रमीण विकास एवं प्रबंध" संकाय हेतु।

(ii) रामाकृष्णा मिशन दिव्ययान कृषि विज्ञान केन्द्र, रांची, झारखंड--"समेकित ग्रामीण जनजातीय विकास" संकाय हेतु।

(iii) स्वामी विवेकानन्द के पैतृक भवन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित रामाकृष्णा मिशन विवेकानन्द रिसर्च सेन्टर"--गणित, विज्ञान, दर्शन, चेतना अध्ययन आदि से संबंधित प्रस्तावित क्षेत्रों में डाक्टोरल एवं पोस्ट डाक्टोरल रिसर्च (पी.एच.डी. एवं डी. फिल/डि.लिट. आदि तक) हेतु।

2. यह घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 4 में उल्लिखित शर्तों के अधीन है।

3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रामाकृष्णा मिशन विवेकानन्द एजुकेशनल एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सम विश्वविद्यालय अथवा इसके किसी भी संघटक संस्थाओं/परिसर बाह्य केन्द्रों को कोई योजनागत अथवा योजनेतर अनुदान प्रदान नहीं करेगी।

सुनील कुमार
संयुक्त सचिव

सं. एफ-9-47/2005-यू-3--जबकि "भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च", चेन्नई जिसमें "श्री बालाजी डेंटल कालेज एण्ड हास्पीटल, चेन्नई" भी शामिल है, को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के तहत इस मंत्रालय की दिनांक 4 जुलाई, 2002 की अधिसूचना संख्या एफ.9-5/2000-यू.3 के द्वारा पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् समीक्षा की शर्त के आधार पर 'सम विश्वविद्यालय' के रूप में घोषित किया गया था।

और जबकि अस मंत्रालय की दिनांक 10 जनवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या एफ. 9-5/2000-यू.3 तथा दिनांक 2 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या एफ. 9-14/2003-यू.3 के तहत उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् समीक्षा की शर्त के आधार पर क्रमशः 'भारत इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी', चेन्नई तथा 'श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज एवं हास्पीटल', चेन्नई नामक दो और संस्थाओं को "भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च", चेन्नई के अधिकार क्षेत्र में लाया गया था।

और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च" एवं इनकी संघटक संस्थाओ के कार्यकरण की समीक्षा इस उद्देश्यार्थ गठित विशेषज्ञ समिति से करवाई है और विशेष समिति की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्र सरकार ने इस मंत्रालय की दिनांक 11 जनवरी, 2007 की अधिसूचना सं. एफ 9-5/2000-यू. 3 के द्वारा उपरोक्त संघटक संस्थाओं वाले "भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च," चेन्नई को प्रदत्त 'सम विश्वविद्यालय' का दर्जा जारी रखने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित संस्थाओं को संघटक इकाइयों के रूप में "भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च", सम विश्वविद्यालय, चेन्नई के क्षेत्राधिकार में शामिल करने की घोषणा करती है। यह उस तिथि से लागू होगा, जिस तिथि से ये संस्थाएं स्वयं को तमिलनाडु डा. एम.जी.आर., मेडिकल विश्वविद्यालय, चेन्नई से, जिससे ये इस समय संबद्ध हैं, असंबद्ध कर लेंगी :

(i) श्री बालाजी कालेज ऑफ नर्सिंग, चेन्नई और

(ii) श्री बालाजी कालेज ऑफ फिजियोथेरेपी, चेन्नई ।

2. यह घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्र. सं. 5 में उल्लिखित शर्तों के अधीन है।

3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च", चेन्नई अथवा इसकी संघटक संस्थाओं को योजनागत अथवा योजनेतर अनुदान प्रदान नहीं करेंगे।

सुनील कुमार
संयुक्त सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2007

संकल्प

सं. 33-1/06-सीडीएन--संस्कृति मंत्रालय द्वारा, इस मंत्रालय के दिनांक 08.10.2004 के समसंख्यक संकल्प के जरिए, संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों से अलग-अलग विचारों और हितों का एकीकृत मत लेते हुए निर्णय-निर्माण की एक सहभागिता-आधारित प्रक्रिया विकसित करने के उद्देश्य से एक संस्कृति-संबंधी 'केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड' गठित किया गया था। सरकार द्वारा श्री अमजद अली खां (3-साधना इनक्लेव, नई दिल्ली-110017) को बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है।

श्री अमजद अली खां के नामांकन की निबंधन एवं शर्तें दिनांक 08.10.2004 के संकल्प के अनुरूप होंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि आम सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि इस कार्यालय को तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, संस्कृति मंत्रालय के सभी सम्बद्ध/अधीस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त संगठनों को सूचनार्थ अग्रेषित की जाए।

के. जयकुमार
संयुक्त सचिव

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2007

संख्या- ई -11011/11/2002-हिन्दी **संकल्प**

भारत-सरकार के पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्रालय, पोत-परिवहन-विभाग की हिन्दी-सलाहकार-समिति की सातवीं बैठक में दिए गए सुझाव के अनुसरण में और पोत-परिवहन-विभाग के दिनांक 19 सितम्बर, 2005 के समसंख्यक संकल्प के अधिक्रमण में, पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्रालय के पोत-परिवहन-विभाग ने भारतीय पत्तनों तथा नौवहन से संबंधित विषयों पर मूल रूप से हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखा जाना प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नीचे दर्शाए जा रहे विवरण के अनुसार संशोधित नक़द पुरस्कार-योजना चलाना आरंभ करने का निर्णय किया है:

1.	योजना का नाम	इस योजना का नाम, "भारतीय पत्तनों तथा नौवहन से संबंधित विषयों पर मूल रूप से हिन्दी में मौलिक पुस्तक-लेखन-प्रोत्साहन की नक़द पुरस्कार-योजना" है।
2.	योजना का उद्देश्य	इस योजना का उद्देश्य, भारतीय पत्तनों तथा नौवहन से संबंधित विषयों पर मूल रूप से हिन्दी में मौलिक पुस्तकों के लेखन को प्रोत्साहित करना है ।
3.	पुरस्कारों की धनराशि	इस योजना में मूल रूप से हिन्दी में मौलिक पुस्तकों के लेखन के प्रोत्साहन हेतु निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएँगे:- प्रथम पुरस्कार 50,000/-रु0 द्वितीय पुरस्कार 30,000/-रु0 तृतीय पुरस्कार 20,000/-रु0
4.	प्रमुख विशेषताएँ	1. इस योजना का संचालन, पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्रालय, पोत-परिवहन-विभाग द्वारा किया जाएगा । 2. इस योजना के अंतर्गत देय पुरस्कार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दिए जाएँगे । 3. लेखक, अपने आवेदन, निर्धारित प्रपत्र में, संयुक्त सचिव (पत्तन/राजभाषा), पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्रालय, पोत-परिवहन-विभाग, परिवहन-भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजेंगे ।

2-49/GI/06

5.	योजना में हिस्सा लिए जाने की पात्रता	1. इस पुरस्कार-योजना में सभी भारतीय नागरिक भाग ले सकते हैं। 2. इस योजना में मूल रूप से हिन्दी में प्रकाशित मौलिक पुस्तकों अथवा पाण्डुलिपियों पर विचार किया जाएगा। 3. जिन लेखकों की पुस्तकों को इस योजना में देय पुरस्कारों की प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा, उनका अपनी पुस्तकों पर कॉपीराइट बना रहेगा। 4. इस प्रतियोगिता के लिए एक बार प्रस्तुत की जा चुकीं पुस्तकों को इस प्रतियोगिता के लिए दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। 5. जिन पुस्तकों को भारत-सरकार या राज्य-सरकार अथवा संघ-राज्य-क्षेत्र के प्रकाशन की किसी योजना के अंतर्गत एक बार पुरस्कार दिया जा चुका हो, उन्हें इस योजना में देय पुरस्कारों की प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जाएगा।
6.	सामान्य शर्तें	1. यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई किसी पुस्तक के एक से अधिक लेखक हों तो पुरस्कार की धनराशि को उनमें बराबर-बराबर बाँट दिया जाएगा। 2. यदि किसी वर्ष, मूल्यांकन-समिति, किसी भी पुस्तक/पाण्डुलिपि को पुरस्कार दिए जाने के उपयुक्त नहीं समझे तो मूल्यांकन-समिति अपने विवेक पर इस पुरस्कार को रोक सकती है। 3. पुरस्कार प्रदान किए जाने या पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई भी पत्र-व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। 4. पुरस्कार, वित्तीय वर्ष, 2007-2008 से आरंभ होंगे और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दिए जाएँगे। यदि किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपयुक्त पुस्तकें उपलब्ध नहीं होंगी तो उस वर्ष पुरस्कार नहीं दिए जाएँगे।
7.	मूल्यांकन-समिति	1. पुरस्कार प्रदान किए जाने के लिए पुस्तकों/पांडुलिपियों का चयन करने के लिए एक मूल्यांकन-समिति होगी। 2. मूल्यांकन-समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, पोत-परिवहन-विभाग के सचिव द्वारा की जाएगी।

		3. यदि मूल्यांकन-समिति का कोई सदस्य, इस पुरस्कार-योजना में शामिल होना चाहे तो वह उस वर्ष, मूल्यांकन-समिति का सदस्य नहीं होगा । मूल्यांकन-समिति द्वारा किया गया निर्णय, अंतिम होगा ।
8.	योजना में संशोधन करने का अधिकार	पोत-परिवहन-विभाग को इस योजना में संशोधन करने का अधिकार होगा ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति, सभी राज्य-सरकारों, भारत-सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, भारत के सभी विश्वविद्यालयों और समाचार-अभिकरणों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प, आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

अजय कुमार भल्ला
संयुक्त सचिव

प्रपत्र

भारतीय पत्तनों तथा नौवहन से संबंधित विषयों पर मूल रूप से हिन्दी में मौलिक पुस्तक-लेखन-प्रोत्साहन की नक़द पुरस्कार-योजना

1. पुस्तक का नाम _____

2. पुस्तक किस विषय के बारे में है _____

3. लेखक/लेखकों का नाम _____
   पूरा पता _____
   _____
   दूरभाष सं0_____

4. यदि पुस्तक प्रकाशित हो, तो
   (1) प्रकाशक का नाम _____
   (2) प्रकाशक का पूरा पता _____
   _____
   (3) मूल्य _____
   (4) प्रकाशन-वर्ष _____
   (5) कॉपीराइट किसके अधीन है_____

5. यदि पुस्तक पाण्डुलिपि के रूप में हो तो :
   (1) पुस्तक का शीर्षक _____
   (2) वर्ष, जिसमें पुस्तक लिखी गई _____

6. क्या पुस्तक/पाण्डुलिपि पहले कभी किसी अन्य प्रतियोगिता में भेजी गई थी, यदि हाँ, तो कृपया उसका पूरा ब्यौरा दें :-
   (1) किस वर्ष भेजी गई _____
   (2) किसे भेजी गई_____
   (पूरा पता) _____
   (3) क्या कोई पुस्कार प्राप्त हुआ है ?_____

7. मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि :-

(1) मैं/हम भारतीय नागरिक हूँ/हैं ।

(2) पुस्तक मेरे/हमारे द्वारा मूल रूप से हिन्दी में लिखी गई है ।

(3) मेरी/हमारी पुस्तक की इस योजना के अंतर्गत प्रविष्टि से किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता ।

(4) पुस्तक मैंने/हमने शासकीय हैसियत से या सरकारी काम-काज के हिस्से के रूप में नहीं लिखी है ।

(5) यदि मेरी/हमारी पुस्तक/पाण्डुलिपि, पुरस्कार के लिए चुनी गई है तो मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से छः महीनों के भीतर प्रकाशित करवा लूँगा/लूँगी/लेंगे ।

मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम इस योजना के उपबन्धों का पालन करूँगा/करूँगी/करेंगे ।

लेखक/लेखकों के हस्ताक्षर

स्थान _____

दिनांक _____

3-491 GI/06

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the February 2007

(INCOME TAX DEPARTMENT)

No.3/2007 (F.No.A-11013/4/2005-Ad.VII).—In partial modification of Notification No.1/2005 dated 30th May, 2005 and Notification No.2/2005 dated 21st June, 2005, this is to notify that Directorate of Income Tax (Legal & Research) is declared as attached office of Central Board of Direct Taxes with immediate effect.

S.C. SARKAR
Deputy Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)

New Delhi-110066, the 01st February 2006

RESOLUTION

No. K-12012/5/16/2006-P&R.—The all India Handicrafts Board was reconstituted vide resolution of even No. dated 08th September, 2006 for a tenure of two years. The Government of India has decided to induct the following candidates as new non-official Member in the All India Handicrafts Board while retaining all officials and non-official members of the existing All India Handicrafts Board constituted vide resolution dated 08th September, 2006, 23rd October 2006, 22nd & 27th November 2006, 5th, 12th, 21st, & 22nd December, 2006, 5th and 10th January, 2007:

1. Shri Shankar V. Jain
Rockspring, B-601
Off New Link Road
Dahisar (W), Mumbai-400068.

2. Shri Rajendra Prasad Singh
S-20/51-B-2, Cantt Mall Road
Budhu Vihar Colony
Varanasi (Uttar Pradesh).

3. Shri Rajesh Gupta
1, Bapu Dham Market,
Chanakyapuri, New Delhi-110021.

The present strength of the Board shall be 61 Members comprising of Chairman, 24 official Members including Member Secretary and 36 non-official Members, in the reconstituted All India Handicrafts Board.

All other terms and conditions recorded in the resolution dated 08th September, 2006 will, however, remain same and unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

(Dr.) SANDEEP SRIVASTAVA
Additional Development Commissioner (Handicrafts)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-1, the 20th February 2007

No. F.9-14/2006/U.3(A).—Whereas the "Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute (RKMVERI)", Belur Math, Howrah, West Bengal (now known as Ramakrishna Mission Vivekananda University), comprising 'International Human Resource Centre for the Disabled' Coimbatore, was declared a 'Deemed-to-be-University', under de novo category, under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 vide this Ministry's notification No.F.9-54/2004-U.3 dated the 5th January, 2005.

And whereas, the University Grants Commission (UGC) has considered the proposal of the aforesaid Deemed-to-be-University for inclusion of three off campus centres under the ambit of the 'Deemed-to-be-University' Institute through an Expert Committee constituted for this purpose.

And whereas, on the basis of the report and recommendations of the Expert Committee, the UGC has recommended to the Central Government the inclusion of these off campus centers under the ambit of the 'Deemed-to-be-University' Institute.

The Central Government, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, and on the advice of the UGC in the matter, do hereby declare that the following three off campus centre are included under the ambit of "Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute (RKMVERI)", (now known as Ramakrishna Mission Vivekananda University), Deemed-to-be-University' to be operated and maintained as its constituent units for the purpose of the aforesaid Act, with immediate effect :—

(i) Ramakrishna Mission Loka Shiksha Parishad, Narendrapur, Kolkata, West Bengal-for the Faculty of "Integrated Rural Development and Management"

(ii) Ramakrishna Mission Divyayan Krishi Vigyan Kendra, Ranchi, Jharkhand-for the faculty of "Integrated Rural and Tribal Development".

(iii) Ramakrishna Mission Vivekananda Research Centre at Swami Vivekananda's Ancestral House, Kolkata, West Bengal-for Doctoral and Post-Doctoral Research (Leading to Ph.D and D.Phil/D.Litt., etc) in the proposed areas of Mathematical Sciences, Philosophy, Consciousness Studies, etc.

2. The declaration is subject to the conditions mentioned at Sl. No.4 of the endorsement of this notification.

3. The Ministry of Human Resource Development or the University Grants Commission will not provide any Plan and Non-Plan Grants either to Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute, Deemed-

to-be-University or any of its constituent institutions/off campus centres.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

No. F. 9-47/2005-U.3.—Whereas the "Bharath Institute of Higher Education & Research (BIHER)", Chennai comprising 'Sree Balaji Dental College and Hospital', Chennai was declared a 'Deemed-to-be-University' under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 (No.3 of 1956) vide this Ministry's notification No. F. 9-5/2000-U.3, dated the 4th July, 2002, subject to a review after five years.

And whereas, two more intitutions namely, 'Bharath Institute of Science and Technology', Chennai and 'Sree Balaji Medical College and Hospital', Chennai were included under the ambit of the "BIHER", Chennai for the purpose of the aforesaid Act vide this Ministry's notification No. F. 9-5/2000-U.3, dated the 10th January, 2003 and No. F. 9-14/2003-U.3, dated 2nd January, 2004, respectively, subject to a review after three years.

And whereas, on the basis of a review of the functioning of the parent 'Deemed-to-be-University' Institution as well as its aforesaid constituent institutions carried out by the UGC through an Expert Committee constituted for this purpose, and on the basis of its recommendation thereof, the Central Government, accorded approval to the continuance of the status of 'Deemed-to-be-University' granted to "BIHER", Chennai, comprising the aforesaid constituent institutions, vide this Ministry's notification No.F.9-5/2000-U.3 dated the 11th January, 2007.

The Central Govetnment, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956 (No.3 of 1956), and on the advice of the UGC in the matter of inclusion of some more institutions, do hereby declare that the following two institutions are included under the ambit of "Bharath Institute of Higher Education & Research (BIHER)", 'Deemed-to-be-University' Chennai, as its constituent units, for the purposes of the aforesaid Act, from the date of disaffiliation of these Institutions from their affiliating University, namely, The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai :—

(i) Sree Balaji College of Nursing, Chennai, and

(ii) Sree Balaji College of Physiotherapy, Chennai.

2. The declaration is subject to the conditions mentioned at Sl. No.5 of the endorsement of this notification.

3. The Ministry of Human Resource Development or the University Grants Commission will not provide any Plan and Non-Plan grants either to the "Bharath Institute of Higher Education & Research (BIHER)", 'Deemed-to-be-University' Chennai or its constituent institutions.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 12th February 2007

RESOLUTION

No.33-1/06-CDN.—A Central Advisory Board on Culture was constituted by this Ministry vide Ministry of Culture's Resolution of even number dated 08.10.2004 to evolve a participative process of decision-making by taking an integrated view of the various shades of ideas and interests from different domains of culture. Government have nominated Shri Amjad Ali Khan, (3-Sadhna Enclave, New Delhi-110017) as a member of the Board.

Terms and conditions for the nomination of Sh. Amjad Ali Khan will be as per the resolution dated 08.10.2004.

ORDER

Ordered that copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Also ordered that a copy of the Resolution be forwarded to this office and to all the Ministries/Departments of Government of India, all State Government/Union Territories Administration, all Attached/Sub-ordinate Offices & Autonomous organizations of Ministry of Culture for information.

K. JAYAKUMAR
Joint Secy.

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi, the 14th February 2007

RESOLUTION

No.E-110011/11/2002-Hindi.—

In pursuance of the suggestion offered in the seventh meeting of Hindi Salahakar Samiti of the Department of Shipping, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways of the Govt. of India and in supersession of the resolution of the Department of Shipping, of even number dated September 19, 2005, the Department of Shipping, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways have decided to introduce a revised scheme for awarding writers with cash prizes to encourage them to write original books on the subjects relating to Indian Ports and Shipping originally in Hindi, as detailed below:-

1.	Name of the Scheme	The Scheme will be called "Cash Award Scheme For Encouraging the Authors For Writing Original Books on the Subjects Relating to Indian Ports and Shipping originally in Hindi".
2.	Objectives of the Scheme	The Scheme aims at promoting writing of original books on the subjects relating to Indian Ports and Shipping originally in Hindi.
3.	Value of the Awards	The following prizes will be awarded for original works in Hindi under the Scheme: First Prize : Rs. 50,000/- Second Prize : Rs. 30,000/- Third Prize : Rs. 20,000/-
4.	Salient Features	1. The Scheme will be operated by the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Deptt. of Shipping 2. Prizes will be awarded for every financial Year. 3. Authors will submit their applications in the prescribed form dully filled in to the Joint Secretary (Ports/Official Language), Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Deptt. of Shipping, Parivahan Bhavan, New Delhi-110001.
5.	Eligibility for participation in the Scheme	1. All Indian citizens can participate in this Scheme. 2. Published original books in Hindi and manuscripts will be considered in this Scheme. 3. The authors of the books entered into the competition will be entitled to the copyright of their books.

		4. Entries submitted on earlier occasions for this competition will not be entertained. 5. The books once awarded a prize under any other Scheme run by the Govt. of India or a State Govt. or Administration of a U.T. shall not be included in this Scheme.
6.	General terms and conditions	1. If there are more than one authors at any prize winning entry, the amount of the award shall be divided equally among the authors. 2. If during any year, the Evaluation Committee does not find any published work/manuscript suitable for the award, the Committee can withhold the award at its discretion. 3. No correspondence will be entertained regarding the selection of books for awarding of prize(s) or the procedure regarding the selection of books for the award. 4. Prizes will commence from the financial year, 2007-2008 and will be awarded every financial year and if suitable books are not available for any financial year, no prize will be awarded during that year.
7.	Evaluation Committee	1. There will be an Evaluation Committee for selection of the books/manuscripts for awarding of prizes. 2. The Chairman and the Members of the Evaluation Committee will be appointed by the Secretary, Deptt. of Shipping. 3. If any of the members of the Evaluation Committee wishes to participate in the prize scheme, he/she will cease to be a member of the Evaluation Committee that particular financial year. The decision taken by the Evaluation Committee shall be final.
8.	Right to modify the Scheme	The Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Deptt. of Shipping shall have a right to modify this Scheme.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be sent to all State Government, all Ministries and Departments of the Govt. of India, all the Universities of India and News Agencies.

Ordered also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A.K. BHALLA
Joint Secy.

PROFORMA

CASH AWARD SCHEME FOR ENCOURAGING THE AUTHORS FOR WRITING ORIGINAL BOOKS ON THE SUBJECTS RELATING TO INDIAN PORTS AND SHIPPING ORIGINALLY IN HINDI.

1. Title of the Book :

2. The subject dealt with in the Book :

3. Name of the author/authors :
   Full address
   Telephone No.

4. If the book is a published one :
   1. Name of the publisher :
   2. Full address of the publisher :
   3. Price :
   4. Year of publication :
   5. Copyright holder :
5. If the book is a manuscript :
   1. Title of the book :
   2. Year in which written :
6. whether the book/manuscript was sent for any other competition earlier?
   If yes, please give full details i.e. :-
   1. Year in which sent
   2. To whom sent (full address)
   3. Was any award given?
7. I/we hereby certify that:-
   1. I/We am/are a citizen(s) of India.
   2. The book has been written by me/us originally in Hindi.
   3. By entering of my/our book under this scheme, the copyright of any other person is not violated.
   4. I/we have not written the book in my/our official capacity or as a part of official duties.
   5. If my/our manuscript is selected for prize, I/we undertake to get it published within six months from the date of declaration of the result.

I/We undertake to abide by provisions of the Scheme.

Signature of the author(s).....

Place.....
Date.....

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2007
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2007